भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2341

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रम संहिताओं के प्रभाव के संबंध में एसबीआई के अनुमान

†2341. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ये मानती है कि नई श्रम संहिताओं से 75,000 करोड़ रुपये की खपत वृद्धि का एसबीआई का अनुमान पूरी तरह सैद्धांतिक है और यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई स्वतंत्र प्रभाव अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस धारणा का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हैं कि पिछले औपचारिकीकरण प्रयासों की लगातार विफलता के बावजूद असंगठित क्षेत्र के 20 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र के रोजगार की ओर रुख करेंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ये मानती है कि बेरोजगारी में 1.3 प्रतिशत तक की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि कई राज्यों ने अभी तक श्रम संहिता नियमों को पूरी तरह से अधिसूचित नहीं किया है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा नियोजित सुधारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नियोक्ताओं को ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग या श्रमिकों को असंगठित व्यवस्थाओं में वापस भेजकर अनुपालन से बचने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और छोटे प्रतिष्ठानों पर अनुपालन बोझ का आकलन किया है और यदि हां, तो श्रम संहिताओं से लागत वृद्धि या नौकरियों में कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है ताकि समय की आवश्यकता के अनुसार विधायी और शासन प्रणाली को अद्यतन किया जा सके, जिससे कि उन्हें अधिक प्रभावी, लचीले और उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप बनाया जा सके। इन चार श्रम संहिताओं में अनुपालन बोझ को कम करने और लचीली, आधुनिक कार्य व्यवस्था को सक्षम बनाने के उपबंध हैं जिससे रोजगार, कौशल और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा; जो एक श्रमिक-समर्थक, महिला-समर्थक, युवा-समर्थक और रोजगार-समर्थक श्रम ईकोसिस्टम के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

जारी/- 2

(ग) से (ङ): चार श्रम संहिताएं, दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई हैं। इन संहिताओं में अनुपालन बोझ को कम करने और लचीली, आधुनिक कार्य व्यवस्था को सक्षम बनाने के उपबंध हैं जिससे रोजगार, कौशल और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा; जो एक श्रमिक-समर्थक, महिला-समर्थक, युवा-समर्थक और रोजगार-समर्थक श्रम ईकोसिस्टम के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ये श्रम संहिताएं, सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों की स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में असंगठित कामगारों को शामिल करते हुए कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में निश्चित अवधि रोजगार (एफटीई) का उपबंध है, जो कामगारों को एक निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है। ऐसे कामगार समान कार्य करने वाले स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभों के पात्र हैं। इस अनुबंध से ठेकाकरण कम होने, रोजगार क्षमता में वृद्धि होने और कामगारों की आकांक्षाएं पूरा होने की उम्मीद है। वे पांच वर्षों के बजाय, केवल एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी/उपदान के लिए पात्र हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन के भुगतान के लिए एक सांविधिक अधिकार प्रदान करती है और संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों सहित, सभी क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की प्रयोज्यता का विस्तार करती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 इन कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती हैं। यह संहिता प्रत्येक नियोक्ता को सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए भी अधिदेशित करती है जिससे औपचारिकीकरण में और वृद्धि होगी।

साथ ही, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस)तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस मौजूद है जो क्रमशः विभिन्न हितधारकों, नियोक्ताओं, नौकरी चाहने वालों, कौशल सेवाओं और पंजीकरण के अभिसरण के माध्यम से श्रम बाजार में आपूर्ति-मांग को पूरा करने का काम करता है।

एनसीएस पोर्टल, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों सहित करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, अतः, केंद्र और राज्यों के पास अनुपालन की निगरानी करने और अपने-अपने क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग प्रवर्तन तंत्र हैं।

(च): श्रम संहिताओं का एक मुख्य उद्देश्य, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटाइज़्ड फॉर्म, रजिस्टर और रिटर्न, संवर्धन में पारदर्शिता और अपराधों के गैर-अपराधीकरण आदि द्वारा तर्कसंगत सीमा के माध्यम से नियामक प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना है। ये संहिताएं उचित मजदूरी, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा लाभ उठाने हेतु कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्यमों के लिए एक संतुलित परिवेश बनाती हैं।

*****